वार्ड नं0–11.

लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स श्री रामदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी, श्री मनीराम शर्मा, पिता–श्री भागीरथ, वार्ड नं0–11, रामपुरा मटोरिया, जिला–हनुमानगढ़, राजस्थान द्वारा नालंदा क्लस्टर–03 बालू घाट (मोहाने–01 एवं मोहाने–02), ग्राम– मनीचक, धमौली, थाना+अंचल–इस्लामपुर, जिला–नालंदा के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 05.09.2023 को पूर्वाह्न 11:30 बजे नालंदा जिला के अंचल कार्यालय, इस्लामपुर, जिला–नालंदा में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2424/2023 के आलोक में श्री मंजीत कुमार, अपर समाहर्त्ता, नालंदा (जिला पदाधिकारी, नालंदा के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 05.09.2023 को पूर्वाह्न 11:30 बजे अंचल कार्यालय, इस्लामपुर, जिला–नालंदा में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। अपर समाहर्त्ता, नालंदा V.C. के माध्यम से उपस्थित हुए। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान एवं दैनिक भास्कर के माध्यम से दिनांक 05.08.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 1 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (64 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management

Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव / मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया / सुझाव
1.	श्री रविरंजन, ग्राम–मनीचक, जिला–नालंदा।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना के दौरान नदी के कितने गहराई तक बालू खनन किया जायेगा एवं स्थानीय लोगों को क्या लाभ मिलेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के तहत् 01 मीटर तक खनन किया जायेगा। योग्यता के अनुसार स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी।
2.	श्री राहुल कुमार, ग्राम–मनीचक, जिला–नालंदा।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू खनन परियोजना के दौरान ओभर–लोडिंग नहीं होना चाहिए।
3.	श्री दिलकश कुमार, ग्राम–धमौली, जिला–नालंदा।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू खनन परियोजना के दौरान जब घाट चालू हो तो स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिले। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि योग्यता के अनुसार स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिलेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बालू का उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता है एवं राज्य का विकास होता है। विकास के साथ पर्यावरण पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

जिला खनन पदाधिकारी, नालंदा द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 1 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

पौधों का रख–रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर काम प्रारंभ होगा तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। स्थानीये लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। गाँव की अर्थ–व्यवस्था में एवं प्रभावित क्षेत्र का विकास में तेजी आयेगी।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

11-9-23

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पटना

अपर समाहर्त्ता,
नालंदा

उपस्थिति सूचि

मेसर्स श्री रामदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी, निदेशक–श्री मनीराम शर्मा द्वारा (नालन्दा–03 बालू घाट) मोहाने–01 और मोहाने–02 बालू घाट, ग्राम–मनीचक, धमौली, थाना+अंचल–इस्लामपुर, जिला–नालंदा में आयोजित लोक–सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान–अंचल कार्यालय इस्लामपुर दिनांक 05.09.2023 समय–11:00 A.M.

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	मंजीत कुमार	अपर समाहर्ता, नालन्दा	VC के माध्यम से उपस्थित।
2.	आशीष कुमार गुप्ता	क्षेत्रीय पदाधिकारी बि.रा. प्र.नि. पर्षद, पटना	[illegible] 5-9-23
3.	मुकेश कुमार	जिला खनन पदा., नालंदा	[illegible] 05/09/23
4.	मनीराम शर्मा	रावतसर - राजस्थान	मनीराम शर्मा
5.	Vikash Kumar	B.S.P.C.B, Patna	Vikash Ku.
6.	ज्योतिष कुमार	Indus Mining Patna	Jyotish Kr
7.	रंजीत कुमार	धमौली	रंजीत कुमार
8.	सुरेन्द्र प्रसाद	मनीचक	सुरेन्द्र प्रसाद
9.	चन्द्रमौली कुमार	धमौली मनीचक	चन्द्रमौली कु.
10	राहुल सिंह	मनीचक	राहुल सिंह
11	दिव्यकेश कुमार	धमौली	दिव्यकेश कुमार
12	रविरंजन कुमार	मनीचक	रविरंजन कुमार
13	राजू प्रसाद	मनीचक	राजू प्रसाद
14	ASHOK KUMAR	BHAGWATPUR	Ashok Kum
15	सच्चिदानंद प्रसाद	मही पाता	सच्चिदानंद प्रसाद
16	Chandradev Kumar	hanumanjpur	Chandradev Ku
17	Harinandan Roy	Hanumanpur	[illegible]
18	गौरव कुमार	बकौर	
19	विनोद	पासवान	
20	संजय	रविदास	
21			